कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक4350/सात–पं0/एस0बी0एम0जी0/2022–23 दिनांकः 11 जनवरी,2023

1.समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
2.समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0),
जनपद बिजनौर।

विषयः– जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में मलीय कचरा प्रबन्धन हेतु एफ0एस0टी0पी0 से जोडने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि "सेप्टेज वह तरल एवं ठोस सामग्री है जो एक लम्बे समय के साथ सेप्टिंक टैंक वाले शौचालय में जमा हो जाता है। सेप्टिक टैंक शौचालय में जमा मलीय कीचड़ को पम्प करके इसे एक वेक्यूम संयत्र के द्वारा निकाला जाता है। निकाले गये मलीय कीचड़ को जनपद में संचलित एफ0एस0टी0पी0 में उपचारित किये जाने हेतु खाली किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन निति के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि जनपद में उपलब्ध एफ0एस0टी0पी0 के 15 किलोमीटर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों का अनुबन्ध कर जोड़ा जायें ताकि इन ग्राम पंचायतों में उत्पन्न होने वाले मलीय कीचड़ को उपचारित किया जा सके। इस निति के अन्तर्गत श्रंखला को चार चरण **1–संग्रहण/रोकथाम 2–रिक्तिकरण एवं परिवहन 3–उपचार, 4–पूनःप्रयोग एवं निपटान** पर केन्द्रित है। सुलभ सन्दर्भ हेतु महत्वपूर्ण चरणों में शामिल पहलुओं का एक चित्र इस प्रकार है।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में मलिय कचरा प्रबन्धन हेतु तत्काल की जाने वाली कार्यवाही निम्न प्रकार है :–

1. जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान सेप्टिंक टैंक वाले शौचालयों को सूचीबद्ध किया जाना।
2. विकास खण्ड में सेप्टिंक टैंक को खाली करने वाले वाहन स्वामियों का विवरण नाम, मोबाईल नम्बर सहित सम्पूर्ण विवरण तैयार करना।
3. जनपद में उपलब्ध एफ0एस0टी0पी0 के 15 किलोमीटर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों का अनुबन्ध नगरपालिका बिजनौर कर जोड़ा जायें।
4. 15 किलो मीटर से अधिक दूरी वाली ग्राम पंचायतों में ट्रैंच बनाकर मलीय कीचड़ को निपटान किया जायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि सेप्टिंक टैंक को खाली करने वाले वाहन स्वामियों द्वारा किसी भी स्थिति में खुले में खाली न किया जायें।
5.सेप्टिंक टैंक खाली किये जाने का रिकॉड चार स्तर 1–भवन स्वामी 2–ग्राम पंचायत 3–सेप्टिंक टैंक खाली करने वाली वाहन स्वामी 4–एफ0एस0टी0पी0 यदि एफ0एस0टी0पी0 से 15 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थान से टैंक खाली किया गया है तो जिस स्थान पर ट्रैंच बनाकर मलीय कीचड़ का निपटान किये जाने वाली ग्राम पंचायत कार्यालय में।

उक्त के लिए निर्देशित किया जाता है कि आप 15 दिन के भीतर उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

15.1.23
(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

पत्रांकः 4350/दिनांक उक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक महोदय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।
4. उपनिदेशक (पं0), मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर।

जिलाधिकारी
बिजनौर।

Amiit 100

आदेश

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्रामों का स्तर प्राप्त करने हेतु ओ0डी0एफ0 की स्थिरता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, गॉव में दृश्यमान स्वच्छता, कम से कम कूडा करकट एवं जल भराव की स्थिति ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ब्लैक वाटर मैनेजमेंट, फीकल स्लॅज मैनेजमेंट, इत्यादि गतिविधियों पर कार्य किया जाना आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत जनपद में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम पंचायत में कार्य कराये जा रहे है।

मिशन निदेशक महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 के पत्र संख्या–5/801/02/2023 –24 लखनऊ दिनॉक 06 जून 2023 एवं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत संयुक्त एडवाइजरी–एस–18011/6/2021–एसबीएम– डीडीडब्लूएस दिनॉक 14 सितम्बर 2021 के द्वारा फीकल स्लज प्रबन्धन अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों के एसटीपी/ एफएसटीपी में को–ट्रीटमेंट कराने की अपेक्षा की गई है। तदक्रम में मिशन कार्यालय के पत्र संख्याः 5/765/02/2022 दिनॉक 22.07.2022 के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के एसटीपी/एफएसटीपी से ग्रामों/ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की वेबसाईट पर मैप/टैंग कराने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये थे।

जनपद के समस्त विकास खण्डों को नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों में एसटीपी/एफएसटीपी निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित अथवा निर्माण हेतु प्रस्तावित है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत भारत सरकार के आईएमआईएस पर जनपद के समस्त राजस्त ग्रामों को मैप/टैंग किया जाना है। यहॉ यह भी स्पष्ट करना है कि सभी एसटीपी में फीकल स्लज प्रबन्धन की व्यवस्था नही होती है। इसलिये आवश्यक है कि जिन ग्रामों को एसटीपी से टैंग किया जाये क्या वहॉ फीकल स्लज प्रबन्धन की व्यवस्था है या करायी जानी प्रस्तावित है का अवलोकन अवश्य करा लिया जाये। जिन नगर निकायों में एसटीपी /एफएसटीपी निर्माण प्रस्तावित है परन्तु स्थान चिन्हित नही है वहॉ निकाय के मुख्यालय को केन्द्र बिन्दु मानते हुए दूरी का आंकलन कर ग्राम पंचायतों/ग्रामों को टैंग किया जायेगा।

समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि नगरीय क्षेत्र में निर्मित/निर्माणाधीन/निर्माण हेतु प्रस्तावित एसटीपी/ एफएसटीपी के साथ उसकी भौगोलिक स्थिति (त्रिज्या क्षेत्र 15 से 20 किमी0) के अनुसार ग्रामों/ग्राम पंचायतों को भारत सरकार के वेबसाइट पर मैप/टैंग कराते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(दायित्व–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत)

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जनपद में सेप्टिंक टैंक शौचालय के फीकल स्लज को खाली करने के उपरान्त सम्बन्धित वेन्डर जहॉ तहॉ खाली जगह देखता है वह खाली किये गये फीकल स्लज को ऐसे ही खुले मे डाल देता है। फीकल स्लज को खुले में डाले जाने से जनपद को खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बनाये रखना सम्भव नही है। जब तक समस्त नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों में एसटीपी/एफएसटीपी निर्मित नही होता है तब तक निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये :–

1. **जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सेप्टिंक टैंक के शौचालयों को खाली करने वाले वेन्डर की सूची तैयार की जाये।**

   दायित्व–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं0)।

2. **सेप्टिंक टैंक के शौचालयों को खाली करने वाले वेन्डर की सूची को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत सचिवालय पर सुरक्षित रखा जाये। ग्रामवासियों को इस विषय में अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाये।**

   दायित्व–सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0), सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान

3. **जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाये की यदि कोई व्यक्ति सैप्टिंक टैंक शौचालय के फीकल स्लज को खाली कराता है, तो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना लिखित रूप से ग्राम पंचायत सचिवालय पर दी जाये। इसके उपरान्त ही सैप्टिंक टैंक शौचालय के फीकल स्लज को खाली कराया जाये। इस व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद रूप से व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये।**

   दायित्व–सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान एवं पंचायत सहायक

4. **सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि वैक्यूम टैंक में भरे फीकल स्लज को आबादी से दूर ट्रेन्च खुदवाते हुए खाली कराकर मिटटी से ढकने के उपरान्त उसके ऊपर पौधा रोपण किया जाये। सेप्टिंक टैंक के शौचालयों को खाली करने वाले वेन्डर की सूची तैयार**

करते हुए उनके साथ बैठक कर इस व्यवस्था की जानकारी दी जाये तथा इस व्यवस्था का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि कोई सेप्टिंक टैंक के शौचालयों को खाली करने वाले वेन्डर के द्वारा फिकल स्लज को ट्रैन्च में न डालकर खुले में डाला जाता है तो उसके विरूद्व उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने हेतु जनपद स्तर पर तत्काल अवगत कराया जाये।

दायित्व–सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0),ग्राम पंचायत सचिवएवं ग्राम प्रधान

अतः उपरोक्तानुसार नामित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक संख्या 1233/दिनांक उक्तानुसार। 07/8/023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को अवलोकनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मंडलायुक्त महोदय मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
2. मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी जनपद बिजनौर।
4. उप निदेशक महोदय (पंचायत), मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बिजनौर।
6. समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0) जनपद बिजनौर।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत जनपद बिजनौर।
8. समस्त ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव जनपद बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

7.8.23

जिलाधिकारी
बिजनौर।

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर।

59

पत्रांकः /सात–पं0/एस0बी0एम0/2023–24 दिनॉकः 13 मार्च, 2024

1.समस्त ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान
द्वारा समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)
2.समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)
जनपद बिजनौर।

विषयः– जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में मलीय कचरा प्रबन्धन हेतु सैप्टिक टैंक वाले शौचालयों का सर्वे किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय बिजनौर के पत्र संख्याः 4350/सात–पं0/एस0बी0एम0जी0/2022–23 दिनॉक 11 जनवरी 2023 एवं आदेश संख्याः 1233 दिनॉक 07.08.2023 (पत्र के साथ संलग्न) के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि सेप्टेज वह तरल एवं ठोस सामग्री है जो एक लम्बे समय के साथ सेप्टिक टैंक वाले शौचालय में जमा हो जाता है। सेप्टिक टैंक शौचालय में जमा मलीय कीचड को पम्प करके इसे एक वेक्यूम संयत्र के द्वारा निकाला जाता है। निकाले गये मलीय कीचड को जनपद में संचालित एफ0एस0टी0पी0 में उपचारित किये जाने हेतु खाली किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबन्धन नीति के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि जनपद में उपलब्ध एफ0एस0टी0पी0 के 15 किलोमीटर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों का अनुबन्ध कर जोडा जाये ताकि इन ग्राम पंचायतों में उत्पन्न होने वाले मलीच कीचड को उपचारित किया जा सके। इस निति के अन्तर्गत श्रंखला को **चार चरण–1. संग्रहण/रोकथाम 2. रिक्तिकरण एवं परिवहन 3.उपचार 4. पूनः प्रयोग एवं निपटान** पर केन्द्रित है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 प्लस मॉडल ग्रामों का स्तर प्राप्त करने हेतु ओ0डी0एफ0 की स्थिरता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, गॉव में दृश्यमान स्वच्छता, कम से कम कूडा करकट एवं जल भराव की स्थिति ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ब्लैक वाटर मैनेजमेन्ट, फीकल स्लॅज मैनेजमेन्ट, इत्यादि गतिविधियों का कार्य किया जाना आवश्यक है। फीकल स्लॅज मैनेजमेन्ट के कार्य को प्रभावी रूप से सम्पादित किये जाने हेतु आवश्यक है कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान सेप्टिक टैंक वालें शौचालयों का सर्वे निम्नलिखित प्रारूप पर कराया जाना हैः–

क्र0 स0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	कुल परिवारों की संख्या	सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों की संख्या	लीच पिट वाले शौचालयों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त प्रारूप पर सर्वे कराते हुए 07 दिन के भीतर सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार पत्र

(शाश्वत आनन्द सिंह)
जिला पंचायत राज अधिकारी
बिजनौर।

पंत्राक 4054 दिनांक उक्तानुसार
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, महोदय बिजनौर की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय बिजनौर की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपनिदेशक (पंचायत) महोदय, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
बिजनौर।

1

73

(अति आवश्यक)

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।

पत्रांकः 1248 / सात–पं0 / एस0बी0एम / 2025–26 दिनॉक 28 जून 2025

1.समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
2.समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0)
जनपद बिजनौर

विषय :–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार भूमि चिन्हांकन कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पत्र संख्या 5 / 555 / 2025–26 / 02 / 2022 लखनऊ दिनांक 18.06.2025 एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–एस–18.07.2025.SBM-III-DDWS दिनांक 20 मार्च, 2025 के क्रम में दिनांक 10 मार्च, 2025 को भारत सरकार के साथ सम्पन्न बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालनार्थ FSM हेतु योजना बनाया जाना एवं लागू किया जाना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार उपलब्ध कराये गये Manual Faecal sludge Management 2021 में उल्लेखित व्यवस्थाओं के आधार पर भूमि चयन एवं अन्य कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना 2025–26 में फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु 150 इकाई स्वीकृत है। जिसकी स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार प्रति जनपद 02 इकाई का निर्माण कराया जाना है। परन्तु जनपद अमरोहा एवं हापुड़ में 01–01 इकाई निर्मित हो गयी है इस तरह जहां नगर विकास विभाग द्वारा एफएसटीपी / एसटीपी को–ट्रीटमेन्ट इकाई की स्थापना नही है ऐसे जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर इकाई का निर्माण कराया जायेगा।

वार्षिक कार्य योजनानुसार फीकल स्लज मैनेजमेन्ट इकाई की स्थापना हेतु जनपदों के कम से कम दो स्थल चिन्हित किये जाने आवश्यक है। FSTP निर्माण में स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में निम्नलिखित बिन्दुओं का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है :–

1. पर्याप्त भूमि उपलब्धता
- FSTP की क्षमता के अनुरूप भूमि की उपलब्धता।
- सामान्यतः 6–10 KLD FSTP के लिए प्रति इकाई लगभग 1 एकड़ भूमि की आवश्यकता।
- जनपद में ऐसी स्थल / भूमि का चयन किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक विकास खण्डों के ग्रामों को आच्छादित किया जा सकें। जिनकी प्रस्तावित (FSTP) से अधिकतम दूरी 15 KM एवं पहुॅच मार्ग सुगम हो।

2. भू–जल स्तर एवं भूमि का प्रकार
- जल भराव रहित, समतल और ठोस भूमि होनी चाहिए।
- भूमि ऐसी हो जहॉ भूजल स्तर अधिक ऊॅचा न हो ताकि प्रदूषण की सम्भावना से बचा जा सके।

3. दूरस्थ लोकेशन :–
- नगरीय या ग्रामीण आबादी से न्यूनतम 250–500 मीटर की दूरी।
- रिहायशी क्षेत्र से पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी है ताकि दुर्गध, शोर या संक्रमण की समस्या न हो।

4. पहुॅच मार्ग :–
- स्थल तक टैंकर्स की आवागमन के लिए उपयुक्त सड़क मार्ग हो।
- पूरे वर्ष सड़क सुगम और उपयोग में रहने योग्य हो।

5. जल निकासी एवं वर्षा जल प्रंबन्धन
- उचित जल निकासी (drainage) की व्यवस्था।
- वर्षा के जल के निकासी की समुचित व्यवस्था।

6. पर्यावरणीय स्वीकृति और नियम
- भूमि पर कोई पर्यावरणीय प्रतिबंध न हो (जैसे वन क्षेत्र, जलाशय, नदी तट आदि)
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन के अनुरूप।

- स्थानीय समुदाय की सहमति।
- भूमि चयन से पहले ग्राम पंचायत/नगर निकाय और समुदाय से परामर्श आवश्यक।
- सामाजिक स्वीकृति से प्रोजेक्ट की स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- आबादी से दुरी जलभराव कि स्थिति जलाशय से निश्चित दूरी आदि (According to SWM Rule 2016) का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

7. भूमि का स्वामित्व

- सार्वजनिक भूमि को प्राथमिकता दें, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो।
- यदि निजी भूमि ली जाएं, तो स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज और सहमति आवश्यक है।

8. निकटवर्ती संसाधनों की उपलब्धता

- बिजली, पानी, और अन्य आवश्यक संसाधन स्थल के समीप हो।
- प्लाटं के संचालन में 30 किलोवाट से अधिक बिजली एवं 05 किलो0ली0 से अधिक पानी की आवश्यकता होगी इसलिए चयनित की जाने भूमि, बिजली, एवं जल स्रोत के निकट की जानी होगी।
- भूमि के चयन में कैचमेंट एरिया (जिन ग्राम पंचायतों में सेप्टिक टैंक अधिक संख्या में है) की निकटता सुनिश्चित किया जाना चाहिए (कम से कम 3000 सेप्टिंक टैंक)

9.भविष्य में विस्तार की सम्भावना।

- भविष्य में बढती आवश्यकता के अनुसार प्लांट के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए।

10. नगर विकास विभाग द्वारा निर्मित एफएसटीपी/एसटीपी को–ट्रीटमेन्ट इकाई की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भूमि का चिन्हांकन किया जाना उचित होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने विकास खण्ड में FSTP अनुरूप भूमि चिन्हांकन/आवन्टन कराते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, बिजनौर को 29 जून, 2025 तक सूचित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

पत्रांकः /दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त उपजिलाधिकारी बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपनिदेशक, महोदय (पं0) मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
बिजनौर।

- स्थानीय समुदाय की सहमति।
- भूमि चयन से पहले ग्राम पंचायत/नगर निकाय और समुदाय से परामर्श आवश्यक।
- सामाजिक स्वीकृति से प्रोजेक्ट की स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- आबादी से दुरी जलभराव कि स्थिति जलाशय से निश्चित दूरी आदि (According to SWM Rule 2016) का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

7. भूमि का स्वामित्व

- सार्वजनिक भूमि को प्राथमिकता दें, ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान हो।
- यदि निजी भूमि ली जाएं, तो स्पष्ट स्वामित्व दस्तावेज और सहमति आवश्यक है।

8. निकटवर्ती संसाधनों की उपलब्धता

- बिजली, पानी, और अन्य आवश्यक संसाधन स्थल के समीप हो।
- प्लाटं के संचालन में 30 किलोवाट से अधिक बिजली एवं 05 किलो0ली0 से अधिक पानी की आवश्यकता होगी इसलिए चयनित की जाने भूमि, बिजली, एवं जल स्रोत के निकट की जानी होगी।
- भूमि के चयन में कैचमेंट एरिया (जिन ग्राम पंचायतों में सेप्टिक टैंक अधिक संख्या में है) की निकटता सुनिश्चित किया जाना चाहिए (कम से कम 3000 सेप्टिंक टैंक)

9.भविष्य में विस्तार की सम्भावना।

- भविष्य में बढती आवश्यकता के अनुसार प्लांट के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए।

10. नगर विकास विभाग द्वारा निर्मित एफएसटीपी/एसटीपी को–ट्रीटमेन्ट इकाई की भौगोलिक स्थिति के अनुसार भूमि का चिन्हांकन किया जाना उचित होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने विकास खण्ड में FSTP अनुरूप भूमि चिन्हांकन/आवन्टन कराते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, बिजनौर को 29 जून, 2025 तक सूचित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
बिजनौर।

पत्रांकः 1248/ दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त उपजिलाधिकारी बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपनिदेशक, महोदय (पं0) मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
बिजनौर।